भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4728

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सेक्टर का विकास

4728. श्री निशिकान्त दुबेः

श्री राजेश पाण्डेयः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कारपोरेट सेक्टर द्वारा किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कारपोरेट सेक्टर में व्यापार करने में सुगमता हासिल करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कारपोरेट क्षेत्र द्वारा विगत तीन वर्षों में देश में किए गए रोज़गार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कारपोरेट सेक्टर के विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सक्रिय कंपनियों की संख्या के संबंध में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में वृद्धि नीचे दी गई है :

दिनांक 31 मार्च के अनुसार	संख्या
2015	10,22,011

2016	10,88,780
2017	11,69,303

(ख): जी हां। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) में डिस्टेंस टू फ्रंटियर के आधार पर देशों को रैंक दिया जाता है जो कि 10 विनिर्दिष्ट सूचकांकों के आधार पर भारत और वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के बीच के अंतर को नापने के लिए एक विशुद्ध स्कोर है। भारत का विशुद्ध स्कोर डीबीआर 2016 के 53.93 से बढ़कर डीबीआर 2017 में 55.27 और बाद में डीबीआर 2018 में 60.76 हो गया, इस तरह वर्ष 2016 की 142वीं रैंक से बढ़कर वर्ष 2018 में 100वीं रैंक हो गई। यह पहली बार हुआ है कि भारत ने लगातार तीन वर्ष तक अपने विशुद्ध स्कोर में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, भारत का डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) स्कोर वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में सभी 10 सूचकांकों में बढ़ा है जो यह दर्शाता है कि भारत सर्वोत्तम व्यवहारों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

(ग): भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के कारण रोजगार पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट क्षेत्र में उन्नति को बढ़ावा देने और देश में व्यापार करने में आसानी के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) "नाम उपलब्धता" और "निगमन" ई-प्ररूप की प्रक्रिया को तीव्र, समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से करने के लिए केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना करना (ii) एक ई-प्ररूप में पांच सेवाएं अर्थात् नाम उपलब्धता, डीआईएन का आबंटन, किसी कंपनी का निगमन और कंपनी को स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या (टैन) आबंटित करने के लिए कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए एक नया समेकित निगमन सरलीकृत प्रोफार्मा (स्पाइस), ई-प्ररूप की शरूआत करना, (iii) कंपनी का नाम आरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिनांक 26.01.2018 को रिज़र्व यूनिक नेम (आरयूएन) नामक एक नई वेब-सेवा सुविधा प्रारंभ करना, (iv) 10 लाख रुपये के समान या कम की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनियों और अधिकतम 20 सदस्यों के साथ गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के निगमन में स्पाइस, ई-एमओए (संगम ज्ञापन) और ई-एओए (संगम अनुच्छेद) दायर करने हेतु शुल्क के भुगतान की अपेक्षा न होना, (v) कंपनियों के लिए सांझी मुहर को वैकल्पिक बनाना, (vi) न्यूनतम समादत्त पूंजी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा समाप्त करना, और (vii) 1 करोड़ रुपये तक की कुल आस्तियों वाली स्टार्ट-अप, लघु और असूचीबद्ध कंपनियों को फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु कारपोरेट ऋणियों के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।

*****